आदेशिका

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

मोहनसिंह बनाम छिन्दासिंह आदि

अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीए क्रमांक 154 /2018

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
27.02.18	वकील अपीलांट व रेस्पो. संख्या 1/5 व 4 से 8 के वकील उपस्थित । प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर कथन किया कि प्रार्थी द्वारा वाद विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया था जो वकील वादी ने बिना प्रार्थी की सहमति से वाद को नोट प्रेस कर दिया । अतः निवेदन है कि उक्त वाद को रेस्टोर किया जावे । प्रार्थना पत्र पेश होने पर अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी की ओर से उपस्थित वकील ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं किया जावे । अधी. न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 29.07.2016 को प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रार्थना पत्र बहुत अधिक समय बाद पेश किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की है। उभय पक्ष की बहस सुनी गई । उभय पक्ष के अधिवक्तागण ने कथन किया कि अधी.न्यायालय वाद विभाजन एवं घोषणा का पेश किया गया था जिसकी कोई मियाद नही है। इसके अलावा अपीलांट के वकील द्वारा अपीलांट की सहमति के बिना ही वाद को नोट प्रेस कर दिया । अधी.न्यायालय ने मात्र यह लिखते हुए	

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया कि प्रार्थना पत्र बहुत अधिक समय बाद पेश किया है जो कि विधि सम्मत नहीं है। दोनों ही पक्षों के वकील ने प्रकरण को अधी.न्यायालय को रिमांण्ड करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावल का अवलोकन गया गया । अधी.न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि कि वादी का वाद नोट प्रेस में खारिज किया गया था एवं वाद विभाजन एवं घोषणा का था जिसमें कोई मियाद नहीं है। ऐसी स्थिति में न्यायहित में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.07.2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधी.न्यायालय को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वाद को पुनः नम्बर पर लेकर वाद में विधिनुसार कार्यवाही की जाकर वाद का निस्तारण किया जावे । निर्णित पत्रावली नम्बर से कम होकर अभिलेखागार में जमा हो ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)